

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2024/788

दिनांक:- 27/3/24

आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-तृतीय, जयपुर व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर की अनुशंषा के आधार पर विभिन्न आवासीय योजनाओं में अनिस्तारित निर्मित 19 आवास/फ्लैट्स एवं आवासीय भूखण्डों को ई-ऑक्शन के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) निर्मित आवास/फ्लैट्स :-

क्र.सं.	योजना का नाम	आवास/फ्लैट संख्या	कुल
1.	इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर	7/GH-4/B-811(EWS)	01
		12/L/GF/02(LIG), 12/L/SF/234(LIG), 12/L/FF/245(LIG)	03
		11/H/195C (HIG Independent),	01
2.	जवाहर नगर, जयपुर	4-RH-01(HIG Independent)	01
3.	लालकोठी योजना, जयपुर	5-KA-09(LIG), 7-KA-08(LIG), 7-KA-10(LIG), 26-KA-07(LIG)	04
4.	महात्मा गांधी दस्तकार नगर नायला, जयपुर	28, 38, 81, 111	04
5.	रामाकृष्णापुरम योजना, कोटपूतली	3-E-36(EWS Gharonda)	01
		3-C-14 (HIG Independent)	01
Total			16

(ब) आवासीय भूखण्ड :-

क्र.सं.	योजना का नाम	आवास/फ्लैट संख्या	कुल
1	इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर	11/MB/520, 11/MB/521(MIG-B)	02
2.	लालकोठी योजना, जयपुर	43-KA-01	01
Total			03

उपरोक्त वर्णित 19 निर्मित आवास/फ्लैट्स एवं आवासीय भूखण्डों को उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर द्वारा की गई अनुशंषा व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1182 दिनांक 23.03.2017 में निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के आधार पर ई-ऑक्शन से निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याचिका को आवास/फ्लैट/ आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
- आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
- आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
- नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिकवाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

5. आवास/प्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।
उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(प्रवीण कुमार अग्रवाल)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-मुख्यालय0, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक